



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

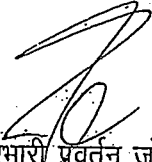
पत्रांक - 15 / प्रवर्तन जोन-7/2020

दिनांक - 28.2.20

विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र
(आवेदन पत्र परिष्कृत-6 प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

सेवियर पार्क के खसरा संख्या-1125/1, 1126/1, 1131, 1144/2, 1145/1, 1146मि0, 1154/1, 1132, 1127मि0, 1128/1, 1129, 1114 से 1117, 1119, 1120, 1124/1, 1130, 1147, 1148, 1149, 1150, 1146मि0 आदि ग्राम करहैड़ा एवं राजस्व ग्राम-साहिबाबाद के खसरा संख्या-1/2 व 13 गाजियाबाद पर गुप हाउसिंग भवन हेतु मै0 सैब फैंब बिल्डिंग प्रालि0 का संशोधित मानचित्र संख्या-712/जोन-7/टी0एच0ए0/15 दिनांक 23.07.2015 स्वीकृत है एवं स्वीकृति से किया गया अतिरिक्त निर्माण शमनित है, उक्त गुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित ब्लॉक-डी-2, 179 यूनिट व डी-3, 89 यूनिट कुल 268 यूनिट के लिए आवेदक/विकासकर्ता द्वारा वर्तमान में आंशिक सम्पूति प्रमाण पत्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर निर्धारित प्रारूप पर दिये गये आवेदन/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को प्रदान की गयी है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबद्धों क्रम संख्या-1 से 15 के अधीन जारी किया जाता है।


प्रभारी प्रवर्तन जोन-7
गा0वि0प्रा0, गाजियाबाद।

PH - III

शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप समस्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. अग्नि शमन विभाग, पर्यावरण विभाग एयर पोर्ट अथॉरिटी तथा अन्य विभागों द्वारा दिये गये सुझावों व निर्देशों, अग्नि शमन व्यवस्था को सदैव स्थल पर कार्यशील एवं इसकी सुरक्षा सम्बन्धी जांच समय-समय पर शर्तों के अनुसार अग्नि शमन से कराना होगा तथा पुनः सम्पूर्ण परिसर सहित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
3. भवन की संरचना, सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं विकासकर्ता की होगी।
4. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सदैव क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
5. सॉलिड वेस्ट निस्तारण संयंत्र को सदैव क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
6. उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अधीन ए०ओ०ए० के गठन के उपरान्त भवन/अवस्थापना सुविधाओं को अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को हस्तान्तरण करने तक भवन का रख-रखाव एवं अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
7. उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन विकासकर्ता एवं अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को करना होगा।
8. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध कोई भी विवाद होता है तो आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
9. वृक्ष/ग्रीन एवं आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
10. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग रेरा में पंजीकृत है। अतः रेरा के प्राविधान एवं निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
11. लिफ्ट के सम्बन्ध में निदेशक विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति में उल्लिखित शर्त का अनुपालन तथा शर्तों के अनुसार जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
12. विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी एवं डी०जी० सेट अधिष्ठान सम्बन्धी निर्गत अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए०ओ०ए० गठन होने के उपरान्त ए०ओ०ए० की होगी।
13. सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लेबर सेस की समस्त देयता जमा कराकर श्रम विभाग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14. भवन में कोई परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है तो दी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
15. उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत मानचित्र, शमन मानचित्र विक्रय अभिलेख एवं अन्य विभागों/अनुभागों से प्राप्त अनापत्ति तथा प्रस्तुत शपथ पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जारी आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

28.2.20
अवर अभियन्ता
एम्स० के० श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता